मेसर्स वेस्टलिंक ट्रेडिंग प्रा0लि0 द्वारा गया जिला के अलीपुर बालू खदान (स्ट्रेच–2, ब्लाक–7) से फल्गु नदी के 30.5 हेक्टेयर क्षेत्र पर बालू खदान करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिंनाक 16.03.2019 को प्राथमिक विद्यालय, बुढ़वा महादेव, अलीपुर, प्रखण्ड–मानपुर, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई का वृत्त।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के तहत राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या–575 दिंनाक 16.03.2017 के आलोक मे मो0 बलागउद्दीन, अपर समाहर्ता गया (जिलाधिकारी गया द्वारा मनोनीत) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दिंनाक 16.03.2019 को प्राथमिक विद्यालय, बुढ़वा महादेव, अलीपुर प्रखण्ड–मानपुर, जिला–गया मे लोक सुनवाई आयोजित की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

उक्त लोक सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा टाइम्स ऑफ इण्डिया, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, प्रभात खबर के माध्यम से दिंनाक 13.02.2019 द्वारा प्रकाशित की गयी थी। लोक सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पटना द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थिति जन समुदाय एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारी का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष मो0 बलागउद्दीन अपर समाहर्ता, गया के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री सुभाष कुमार पाण्डेय ने इकाई को उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोसल कॅारपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि धूल को उड़ने से बचाने के लिए सड़को पर पानी का छिड़काव किया जायेगा। गीली बालू का परिवहन कर बालू को उड़ने या गिरने से रोका जायेगा। वाहनों की ओवरलोडिंग नही की जायेगी। खनन कार्य सतह से 2–3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हॅार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब हो चुके ट्रकों का इस्तेमाल नही किया जायेगा। सड़क के किनारे बृक्षरोपण किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावो द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं÷

1. श्री अमरेश कुमार चौधरी, ग्राम–अलीपुर, जिला–गया द्वारा बताया गया कि बालू खनन से जल स्तर नीचे जायेगा। पानी की समस्या उत्पन्न होगी। पानी के बिना काफी परेशानी होगी।

इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू का खनन 2–3 मीटर तक एवं जल स्तर के ऊपर ही किया जायेगा।

2. श्री अशोक कुमार, ग्राम–अलीपुर, जिला–गया, श्री राजकुमार यादव, ग्राम–अलीपुर, श्री भोला चौधरी, ग्राम–रूपसपुर, श्री मुन्ना चौधरी, ग्राम–अलीपुर, श्री मिथलेश कुमार चौधरी, ग्राम–अलीपुर, श्री मूलचन्द्र प्रसाद यादव, ग्राम–पत्थरघट्टा द्वारा बताया गया कि यह क्षेत्र घनी आबादी है। नदी में बच्चे भी जाते है। अप्रिय घटना घट सकती हैं। बालू खनन से पानी का स्तर नीचे जायेगा इसलिए खनन कार्य यहाँ न होकर अलग जगह हो।

इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू का खनन 2–3 मीटर तक एवं जल स्तर के ऊपर ही किया जायेगा। बालू उठाने से जल स्तर नीचे नही जायेगा। जल स्तर नीचे जाने का अन्य कारण भी हो सकता है। हर 6 महीने में जॉच की जायेगी एवं जल स्तर का ख्याल रखा जायेगा। बालू खनन का कार्य पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। बालू खनन न करने से बाढ़ की समस्या आ सकती है।

3. श्री उमेश गुप्ता, ग्राम–मानपुर हरिबगीचा, जिला–गया ने बालू का रॉयल्टी अधिक होने से परेशानी जाहिर की।

4. श्रीमति कोमल अनिता सिंह, प्रमुख मानपुर प्रखण्ड, जिला–गया द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना का समर्थन किया गया एवं बताया गया कि सरकारी नियमानुसार रॉयल्टी देना अनिवार्य है। उन्होने इकाई द्वारा सोशल रिसपॉबिलिटी के तहत किये जा रहे कार्यो की सराहना की।

5. श्री नगेन्द्र सिंह, पूर्व जिला पार्षद बेलागंज, गया द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना का समर्थन किया गया।

अपर समाहर्ता (अध्यक्ष) द्वारा बताया गया कि आम जनों से प्राप्त सुझावों का ख्याल रखा जायेगा। बालू की खोदाई बरसात के दिनो में नही की जायेगी। बालू का खनन कार्य प्रथम चरण में 1 मी0 गहराई तक दूसरे चरण में पुनः 1 मी0 की गहराई तक करने का प्रस्ताव है। भूजल स्तर का भी ख्याल रखा जायेगा। खनन कार्य करने से सरकार को भी राजस्व की प्राप्त होगी। विकास कार्य किये जायेंगे। स्थानीय मजदूर को रोजगार प्राप्त होगा। इकाई द्वारा प्रतिवर्ष पेड़ लगाने का प्रस्ताव है, पेड़ से पर्यावरण प्रदूषित नही होगा। बालू खनन से बालू की कमी नही होगी। खनन न होने से बालू के लिए हाहाकार मच जाता है। बालू का खनन नियमानुसार आबादी से हटकर की जायेगी। धूल कण से प्रदूषण को रोकने हेतु सुखा बालू को तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा एवं कच्ची सड़क पर पानी का छिड़काव किया जायेगा साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निदेश का अनुपालन करने का सुझाव दिया गया।

अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के पश्चात् जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इकाई के खनन परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी तथा लोक सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।

आ0कु0गु0 16.3.19
(आशीष कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि0रा0प्र0नि0पर्षद,गया।

Md. Balaghuddin 16.03.19
(मो0 बलागउद्दीन)
अपर समाहर्ता
गया।

उपस्थिति सूची

मेसर्स वेस्टलिंग ट्रेडिंग प्रा० लि० द्वारा गया जिला के अलीपुर बालू खदान (स्ट्रेच-2, ब्लॉक-7) से फल्गु नदी के 30.5 हेक्टेयर क्षेत्र पर बालू खदान करने हेतु प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राथमिक विद्यालय, बुढ़वा महादेव, अलीपुर, प्रखण्ड- मानपुर, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 16.03.2019 के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः-

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	[illegible]	ADM Gaya	[illegible] 16.03.19
2	आशीष कुमार गुप्ता	[illegible]	[illegible] 16.3.19
3	[illegible]	A.S.O B.S.P.C. Rd, Patna	[illegible] 16.3.19
4	[illegible]	जिला परिषद सदस्य मानपुर	[illegible] 16.3.19
5	Subhash Kumar consultant	CRIPL Noida	[illegible] 16-3-19
6	आनन्द द्विवेदी West Link Trading	गया	[illegible]
7	[illegible] चौधरी	अलीपुर	[illegible]
8	SANJAY KR. SINGH	Rupaspur	[illegible]
9	Ashok Kumar	Gangti	[illegible] 16-03-2019
10	Bhola Chaudhary	Rupaspur	[illegible]
11	अखिलेश चौधरी	अलीपुर	अखिलेश चौधरी

12	बलीराम सिंह	अलपुर मन्पुर	बलीराम सिंह
13	राहुल - कुमार	सादिपुर	Rahul Singh
14	उमेश गुप्ता	मानपुर हरिबगीचा	उमेश गुप्ता
15	पिन्कु कुमार	मठियापर	पिन्कु कुमार
16	विरेन्द्र कुमार	मठियापर	विरेन्द्र कुमार
17	जैनेन्द्र कुमार सिंह	अलीपुर	जैनेन्द्र कु सिंह
18	प्रमोद कुमार	अलीपुर	प्रमोद कुमार
19	विनोद यादव	मठियापर	विनोद कु
20	कौशलयादव	मठीयापर	कौशलयादव
21	Deepak Kumar	Alipur	Deepak Kumar
22	Jayprakash	Alipur	Jayprakash
23	मुन्ना चौधरी	अलीपुर	मुन्ना
24	अजय कुमार	अलीपुर	Ajay
25	[illegible]	Alipur	[illegible]
26	[illegible] Singh	Alipur	[illegible]
27	Jitendra kum	Kokivasin	Jitendra ku